

जनसंपर्क संचालनालय


मध्य प्रदेश शासन

:: आदेश ::

क्रमांक ए-1-16/2010/(3)जसंसं/स्था./ 6134 भोपाल,दिनांक: 9 सितम्बर,2011
/ विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत
प्रचार सहायक ग्रेड-दो (अन्य पिछड़ा वर्ग) के सीधी भर्ती के पद हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार
में चयनित श्री देवेन्द्र सिंह आत्मज श्री अरूण कुमार सिंह निवासी रीवा को प्रचार सहायक ग्रेड-
दो (वेतनमान 5200-20200+ ग्रेड पे 2100) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर
अन्य आदेश पर्यन्त जिला जनसंपर्क कार्यालय,छतरपुर में पदस्थ किया जाता है । इनकी नियुक्ति
निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. कि वे सेवा शर्तों के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित समझे उदाहरणार्थ:-अवकाश नियम,पेंशन नियम आदि में परिवर्तन ।
2. कि उन्हें संचालनालय के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा ।
3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा ।
4. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली का प्रावधान है । सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, के अधीन रहेंगे।
5. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना में जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । शासकीय सेवा में उपयुक्त पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा ।
6. कि उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/तथ्य असत्य पाए जाने पर तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. कि नियुक्त कर्मचारी दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त रहेंगे । इस अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण,परीक्षा आदि उत्तीर्ण करना होगी । परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोष जनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन प्राप्त होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों /आदेशों का पालन किया गया है तथा प्रचार सहायक ग्रेड-दो संवर्ग के लिए निर्धारित रोस्टर में अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु की प्रविष्टि अंकित कर दी गई है ।



(राकेश श्रीवास्तव)

आयुक्त, जनसंपर्क

निरन्तर-...2

पृ.क्रमांक ए-1-16/2010/(3)/जसंसं/स्था./ 6135 / भोपाल,दिनांक: 7 सितम्बर,2011
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,कोष एवं लेखा संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. उप सचिव,म.प्र.शासन,जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त अपर संचालक,जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. जिला कलेक्टर छतरपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. संयुक्त संचालक,सम्भागीय जनसंपर्क कार्यालय,सागर की ओर सूचनार्थ ।
6. संयुक्त संचालक(लेखा-बजट)जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
7. वरिष्ठ निज सहायक,आयुक्त,जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
8. सहायक संचालक,जिला जनसंपर्क कार्यालय,छतरपुर की ओर सूचनार्थ प्रति भेज कर लेख है कि नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर संचालनालय को अवगत करायें । मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही नियुक्त किए गए कर्मचारी का बायोडाटा भी कोषालय में फीड कराएँ ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर की ओर सूचनार्थ ।
10. जिला कोषालय अधिकारी छतरपुर ।
11. प्रशासकीय अधिकारी/सहायक जनसंपर्क अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी/कनिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखापाल/कनिष्ठ लेखापाल,स्थापना (गोपनीय प्रभाग)लेखा(जी.पी.एफ/ जी.आई.एस/ टी.ए)/बजट,जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल ।
12. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अरूण कुमार सिंह,10/504-अरूण नगर रीवा म.प्र.की ओर **रजिस्टर्ड डाक** से नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।
13. स्टाक/रिकार्ड फाईल ।

(सुरेश तिवारी)

8-9.11.

अपर संचालक (प्रशा.)